दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

(22-12-1999 को प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

FOURTH REPORT

(Presented on 22-12- 1999)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

का

चौथा प्रतिवेदन

(दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारदाज	सदस्य
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	सदस्य
5.	श्री राम भज	सदस्य
6.	श्री जय भगवान अग्रवाल	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस. के. शर्मा	सचिव
2.	श्री पी. सी. अग्रवाल	उप सचिव
3.	श्री के. एल. कोहली	अवर सचिव

समिति की चौथी बैठक सोमवार, 20 दिसम्बर, 1999 को माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष, पुराना सचिवालय, दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

समिति द्वारा किये गये विचार-विमर्श एवं सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

(i) दिल्ली जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 1999-श्रीमती किरण चौधरी-

22 दिसम्बर, 1995 को तब के माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसरण में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के निर्णय के अनुसार इस विधेयक को 9 अप्रैल, 1999 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई थी ।

विधि विभाग ने राय दी है कि वर्तमान रूप में यह विधेयक कुछ केन्द्रीय कानूनों और दिल्ली में रह रहे केन्द्रीय कर्मचारियों पर भी प्रभाव डालता है । अतः यदि इसे पारित किया जाता है तो इस पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति लेनी आवश्यक है । कार्य निष्पादन नियमों के नियम-55 के अन्तर्गत इस प्रकार के विधेयकों के संबंध में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है ।

(ii) दिल्ली पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक, 1999-श्रीमती किरण चौधरी

इस विधेयक के संबंध में विधि विभाग की राय है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम की धारा-34 के अनुसार विधान सभा राजधानी में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है । तथापि, अधिनियम की धारा-24(सी) के अंतर्गत उपराज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ इस विधेयक को रोकें । इसलिये कार्य निष्पादन नियमों के नियम-55 के अंतर्गत इस विधेयक पर केन्द्र सरकार का पूर्व संदर्भ लेना आवश्यक है ।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य(वेतन, भत्ते, पेंशन आदि)(संशोधन) विधेयक, 1999 - श्री मुकेशशर्मा

इस विधेयक के संबंध में विधि विभाग की राय है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम की धारा-22(सी) के अंतर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने से पूर्व उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है । इसके अलावा कार्य निष्पादन नियमों के नियम-55 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी भी आवश्यक है ।

समिति ने इच्छा प्रकट की कि विधेयक को 24.12.99 को सदन में पुरःस्थापित कर दिया जाये । लेकिन कानूनी सलाह को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये जाये, ताकि विधेयक को पुरःस्थापन हेतु सूचीबद्व किया जा सके ।

(IV) **दिल्ली विधान सभा सचिवालय विधेयक, 1999-श्रीमती किरण चौधरी**

समिति को सूचित किया गया कि इस विधेयक के संबंध में विधि विभाग ने राय दी है कि संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 187 के अंतर्गत प्राप्त है अथवा संविधान के अनुच्छेद 239 कक अथवा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम में संशोधन करके अलग से सचिवालयीय स्टॉफ का प्रावधान किया जा सकता है । इस प्रकार से विधेयक विधान सभा के विधायी अधिकारों से बाहर है ।

समिति कानूनी सलाह को स्वीकार करने पर सहमत हुई और सिफारिश की कि विधेयक को पुरःस्थापन के लिये सूचीबद्व न किया जाये ।

समिति ने इच्छा प्रकट की कि विधेयक को 24.12.99 को सदन में पुरःस्थापित कर दिया जाये । लेकिन कानूनी सलाह को देखते हुए समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये जाये, ताकि विधेयक को पुरःस्थापन हेतु सूचीबद्ध किया जा सके ।

(iv) **दिल्ली विधान सभा सचिवालय विधेयक, 1999-श्रीमती किरण चौधरी**

समिति को सूचित किया गया कि इस विधेयक के संबंध में विधि विभाग ने राय दी है कि संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 187 के अंतर्गत प्राप्त है अथवा संविधान के अनुच्छेद 239 कक अथवा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम में संशोधन करके अलग से सचिवालयीय स्टॉफ का प्रावधान किया जा सकता है । इस प्रकार से विधेयक विधान सभा के विधायी अधिकारों से बाहर है ।

समिति कानूनी सलाह को स्वीकार करने पर सहमत हुई और सिफारिश की कि विधेयक को पुरःस्थापन के लिये सूचीबद्ध न किया जाये ।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

समिति ने निम्नलिखित 03 संकल्पों के लिये निम्नानुसार समय का आबंटन किया :-

क्र॰सं॰	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1.	श्री नन्द किशोर गर्ग	"यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक समन्वयक नियुक्त किया जाये और प्रारम्भ में मण्डल खाद्य एवं संभरण अधिकारी को ये दायित्व सौंप दिया जाये और प्रत्येक विधायक को प्रातःकाल जनता की समस्याओं को सुनने और उसके निवारण हेतु क्षेत्र में उचित स्थान उपलब्ध कराया जाये ।"	30 मिनट
2.	श्री सुशील चौधरी	"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में रिहायशी एवं व्यावसायिक मकानों के अवैध निर्माणों को रोकने के लिये सरकार तुरन्त आवश्यक कदम उठाये ।"	40 मिन
3.	श्री रूप चन्द	"यह सदन संकल्प करता है कि 5वें वेतन आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के कारण दास/दानिलक्स कॉडर के विभिन्न वेतनमानों में उत्पन्न असंगतियों को दूर करने तथा इस कॉडर के वेतनमान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष करने के लिये दिल्ली सरकार मामले को भारत सरकार को सौंपे बगैर स्वयं ही तुरन्त आवश्यक कदम उठाये ।"	20 मिन

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री राम भज को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चौ॰ प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति

दिल्ली,
21 दिसम्बर, 1999

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FOURTH REPORT

(Presented on 22 December, 1999)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh	Chairman
2.	Sh. Mangat Ram Singhal	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj	Member
4.	Sh. Arvinder Singh Lovely	Member
5.	Sh. Ram Bhaj	Member
6.	Sh. Jai Bhagwan Aggarwal	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K. Sharma	Secretary
2.	Sh. P.C. Agarwal	Deputy Secretary
3.	Sh. K.L. Kohili	U.S. (Leg.)

The Committee was apprised about the position of the Private Members' Bills as under:-

(i) The Delhi Population Control Bill, 1999 by Smt. Kiran Choudhry : The Bill was allowed to be introduced in the Assembly on 9th April,1999 as per decision of the Committee and in the light of the ruling given by the then Hon'ble Speaker on 22nd December,1999.

The Law Deptt. has opined that the Bill, in its existing form, affects some Central laws as also the employees of the Central Govt. residing in Delhi. It will, therefore, require the assent of the President of India, if passsed. Under Rule 55 of the Transaction of Business Rules, prior approval of the Central Govt. is required in respect of such Bills.

(ii) The Delhi Adoption of Punjabi & Urdu as Second Official languages Bill, 1999 by Smt. Kiran Choudhry : The legal opinion in respect of this Bill is that Under Section 34 of the GNCT Act, the Assembly is competent to make laws regarding languages in use in the Capital. However, Under Section 24(c) of the Act, LG is required to reserve this Bill for the consideration of the President. Therefore, prior reference to the Central Govt. is

Cont...2/-

required to be made under Rule 55 of the Transaction of Business Rules.

(iii) The Members of the Legislative Assembly of NCT of Delhi(Salary Allowances, Pension etc.)Amendment Bill,1999 by Sh. Mukesh Sharma : The legal opinion in respect of this Bill is that prior recommendation of the Lt. Governor under Section 22(c) of the Act is mandatory before the Bill is introduced. In addition, prior approval of the Central Govt. is also necessary under Rule 55 of the Transaction of Business Rules.

The Committee held detailed deliberations in respect of the introduction/introduction of the aforesaid Bills on Friday, 24th December,1999. The consensus was that in view of the legal opinion, it would be necessary to obtain the prior approval of the Central Govt. before the Bills are listed for consideration/introduction. The Committee recommend that the concerned Departments of the Govt. may be directed to obtain the recommendation/prior approval of the Central Govt; wherever necessary, expeditiously. The copies of the Bills have already been sent to the concerned Ministers as well as Departments of the Govt. for getting the needful done. They may again be reminded to expedite further action in this regard so that the Bills could be listed.

(iv) The Delhi LegislativeAAssembly Secretariat Bill, 1999 by Smt. Kiran Choudhary : The opinion of the Law Deptt. on this Bill is that the Union Territory will have to achieve full Statehood in order to exercise powers under Article 187 of the Constitution or amendments will have to be carried out in Article 239AA of the Constitution or in the GNCT Act itself to provide for separate Secretariat staff. Hence, the Bill is outside the legislative competence of the Assembly.

The Committee agreed to accept the legal opinion and recommend that the Bill may not be listed for introduction.

Contd...3/-

RESOLUTIONS

The Committee recommended allocation of time for the Non-official Resolutions as indicated against each :-

1. Shri Nand Kishore Garg :

   This House Resolves that in every Assembly Constituency, an Officer be posted as Co-ordinator and to begin with the Circle Food and Supplies Officer be designated as such and suitable space be provided to every Member of Legislative Assembly to listen and redress the grievances of public in morning hours. — 30 Minutes

2. Shri Sushil Choudhary :

   This House resolves that Govt. should take immediate necessary steps to check unauthorised construction of residential and commercial buildings in Delhi. — 40 Minutes

3. Shri Roop Chand :

   This House resolves that the Govt. should take immediate steps to remove anomalies occurred due to implementation of Fifth Pay Commission Report in various Pay Scales of DASS/DANILCS Cadres on its own without referring the matter to the Govt. of India to bring it at part with Central Govt. employees. — 20 Minutes

The Committee authorised Shri Mangat Ram Singhal and in his absence, Shri Ram Bhaj to present the Report on its behalf.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

DELHI

December 21, 1999